



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-15-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त नन्दलाल राय व शेषनाथ शर्मा को हत्या के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 054/2017 धारा- 302, 34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. नन्दलाल राय उर्फ बबलू राय पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद राय निवासी जोगा मुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर 2. शेषनाथ शर्मा पुत्र स्व0 शिवजीत शर्मा निवासी खालिसपुर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 15-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 302, 34 भादवि में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर अधिकतम 01-01 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी